

# प्रेस विज्ञप्ति



आज दिनांक 03.11.2020 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर के आदेशानुसार एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय और श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय देवबन्द के दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी नागल कृष्णपाल सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना नागल पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के अभियान में अभियुक्त अनिल पुत्र यशपाल निवासी ग्राम गांगनौली थाना नागल जनपद सहारनपुर को जंगल ग्राम गांगनौली में रहतू की ट्यूबवैल से अपमिश्रित कच्ची शराब बनाकर उसकी तीव्रता बढ़ाने के लिये यूरिया मिलाते हुये शराब बनाने के उपकरणों एवं 30 लीटर अपमिश्रित शराब व 50 लीटर लाहन सहित पकड़ा गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नागल पर मु0अ0स0 370/2020 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि पंजीकृत किया गया। जनता के व्यक्तियों द्वारा पुलिस के इस सराहनीय कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की गयी।

## बरामदगी:-

1. 30 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब
2. 50 लीटर लाहन
3. 500 ग्राम यूरिया
4. भट्टी- ड्रम लोहा, गैस सिलिंडर, चूल्हा, पाईप, मिट्टी का मसला प्लास्टिक की 2 कैन

## गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उप नि0 श्री कैलाशचन्द शर्मा थाना नागल
2. का0 2018 सन्दीप कुमार थाना नागल
3. का0 2052 रोहित सैन थाना नागल
4. का0 174 सचिन चौहान थाना नागल
5. चालक का0 696 राजीव पंवार मय गाडी सरकारी

## प्रेस नोट दिनांक 03.11.2020

अवगत कराना है कि थाना को0देहात पर दिनांक 03.11.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर, द्वितीय के कुशल नेतृत्व थाना को0देहात पर पराली जलाने वालो के विरूध्द कठोर कार्यवाही करते हुए ग्राम मेहरबानी व टोपरी से 1.रामकुमार पुत्र सहीराम निवासी ग्राम टोपरी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर 2.प्रदुमन पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम टोपरी थाना को0देहात स0पुर 3.दुष्यन्त पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम टोपरी थाना को0देहात स0पुर 4.सन्दीप पुत्र प्रीतम निवासी गदनपुरा थाना को0देहात स0पुर 5.राजेश पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम मेहरबानी थाना को0देहात स0पुर 6.जोगेन्द्र पुत्र दयाराम निवासी ग्राम मेहरबानी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना को0देहात पर पूर्व में भी 05 लोगो को पराली जलाने को लेकर जेल भेजा गया था ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1.रामकुमार पुत्र सहीराम निवासी ग्राम टोपरी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
- 2.प्रदुमन पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम टोपरी थाना को0देहात स0पुर
- 3.दुष्यन्त पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम टोपरी थाना को0देहात स0पुर
- 4.सन्दीप पुत्र प्रीतम निवासी गदनपुरा थाना को0देहात स0पुर
- 5.राजेश पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम मेहरबानी थाना को0देहात स0पुर
- 6.जोगेन्द्र पुत्र दयाराम निवासी ग्राम मेहरबानी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना को0देहात सहारनपुर ।
- 2.का0 1361 कुलदीप कुमार थाना को0देहात सहारनपुर ।
- 3.का0 744 सचिन कुमार थाना को0देहात सहारनपुर ।
- 4.एचजी 109 अशोक कुमार ।



## **-प्रेस विज्ञप्ति:-**

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मॉनेटरिंग सैल की सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय ए0डी0जे0/अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कक्ष संख्या-14 सहारनपुर द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 65 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई सजा: -**

अवगत कराना है कि दिनांक 10-09-2017 को थाना जनकपुरी पर अभियुक्त इरशाद पुत्र मौ0 इनाम निवासी नयाबांस थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 225/2017 धारा 363,366,376,506 भादवि व धारा 5/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 104/2017 पर माननीय न्यायालय ए0डी0जे0/अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कक्ष सं0-14 स0पुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मॉनेटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय ए0डी0जे0/अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कक्ष सं0-14, स0पुर द्वारा आज दिनांक 03-11-2020 को अभियुक्त इरशाद पुत्र मौ0 इनाम उपरोक्त को मु0अ0सं0 225/2017 धारा 363,366,376,506 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 65 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

## **-प्रेस विज्ञप्ति:-**

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 सहारनपुर द्वारा अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा: -**

अवगत कराना है कि दिनांक 30.05.2018 को वादी मुनेश कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम0 नानकगढ थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड की बुआ राजबाला पत्नी स्व0 शिवपाल नि0 ग्राम गेलेवाला द्वितीय थाना फतेहपुर जनपद स0पुर को अभियुक्ता पोमिल पत्नी जयभगवान नि0 ग्राम गेलेवाला थाना फतेहपुर, जनपद स0पुर द्वारा मिटटी का तेल डालकर आग लगा देना जिससे वादी की बुआ राजबाला की दौराने इलाज सफदरगंज अस्पताल दिल्ली में मृत्यु हो जाने की सूचना पर मु0अ0सं0 105/2018 धारा 302 भादवि में थाना फतेहपुर पर पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 22359/2018 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-11 स0पुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाने स्तर से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-11 स0पुर द्वारा दिनांक 03.11.2020 को अभियुक्ता श्रीमति पोमिल पत्नी जयभगवान को मु0अ0सं0 105/2018 धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।